

पाकिस्तान कर रहा भारत की तारीफ, पर कुछ लोग कर रहे झूठ की राजनीति: राजनाथ सिंह

● रक्षा मंत्री ने राजधानी के राजनीतिक जनसभा को किया संबोधित



पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

रक्षा मंत्री व लखनऊ से लोकसभा प्रत्यार्थी राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की संसद के एक संसद सदस्य ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि आज भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। जबकि वह हमारे बारे में अच्छी बात सोचता नहीं है। वह मारी की गारंटी ही है, जो उसमें मान रखता है कि भारत कास्ट के पथ पर जीत के साथ आगे बढ़ रहा है। वहाँ वहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने निजी स्थान के लिए पाकिस्तान का समर्थन करती हैं। यह झूठ बोलकर हमारे

बीच गलतफहमी पैदा करती है। भारतीय जनता पार्टी की झूठ बालक राजनीति नहीं करती है। हम एक सार्थक और जनहित की राजनीति करते हैं। बीजेपी सरकार बनाने के लिए नहीं बाल्कि देश बनाने की राजनीतिक पार्टी है।

राजनाथ सिंह गुरुवार को राजधानी के राजाजीपुरम में जनसभा

को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उड़ोने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ की। उड़ोने कहा कि किसी भी प्रोसेस का विकास बिना कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किए बिना नहीं किया जा सकता है।

रक्षा मंत्री व लखनऊ से लोकसभा प्रत्यार्थी योगी के नेतृत्व में प्रदेश की कानून व्यवस्था की सुधूर हुई है। इंदिरा गांधी वर्ष 1975 में इंदिरांजीन राजनीति करते हुए विद्वानों का कहना है कि वर्ष 2027 तक भारत दुनिया की टॉप थ्री अर्थव्यवस्था बाता देश होगा। आज दुनिया के सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि 21 वीं सदी आर किसी देश की ही तो वह भारत की ही है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बबंद पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए दुनिया के सम्पन्न भौमिका मांग रहा है। वहाँ पर हिंदुओं के समर्थन में नहीं लग रहे हैं। वहाँ यहाँ पर कुछ राजनीतिक फाफदे के लिए पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं। उड़ोने कहा कि पहले भारत की बात कोई मंभीरता से नहीं सुनता है, लेकिन आज पूरी दुनिया का ध्यान

400 से अधिक सीटों का नेतृत्व करने जा रही है, लेकिन यह ये लोग मानने की तैयार नहीं है। वह जनता जनादेह के भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास और उत्साह को समझने के तैयार नहीं है। रक्षा मंत्री ने नेतृत्व में प्रदेश की कानून व्यवस्था की सुधूर हुई है, जिसकी वजह से प्रदेश के पथ तो आगे बढ़ रहा है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विवरण के बारे में विवरण को लगाया गया था। इहाँने 132 वार संविधान में बदलाव का काम किया है। वहीं प्रधानमंत्री नंदेंद मोदी ने अनें दस वर्ष के कायाकल में एक संविधान में बदलाव का काम किया है। वहीं प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है वहीं कोई इसलिए यह अनाप शान बारे में बदलाव कर रहे हैं। उड़ोने कहा कि पहले भारत की बात कोई मंभीरता से नहीं सुनता है, लेकिन आज पूरी दुनिया का ध्यान

भारत की ओर है। आज विश्व के बड़े विद्वानों का कहना है कि वर्ष 2027 तक भारत दुनिया की टॉप थ्री अर्थव्यवस्था बाता देश होगा। आज दुनिया के सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि 21 वीं सदी आर किसी देश की ही तो वह भारत की ही है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विवरण के बारे में विवरण को लगाया गया था। इहाँने 132 वार संविधान में बदलाव का काम किया है। वहीं प्रधानमंत्री नंदेंद मोदी ने अनें दस वर्ष के कायाकल में एक संविधान में बदलाव का काम किया है। वहीं प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है वहीं कोई इसलिए यह अनाप शान बारे में बदलाव कर रहे हैं। उड़ोने कहा कि पहले भारत की बात कोई मंभीरता से नहीं सुनता है, लेकिन आज पूरी दुनिया का ध्यान



निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये गये। इस दौरान गोमती नार के विकास खाड़ी, 5 में एक अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स नीलमथा में 06 रो-हाउस भवनों को सील किया गया। प्रवर्तन जोन, 1 की जोनल अधिकारी वन्दना पाण्डेय ने बताया कि विभूषित कुमार व अर्द्ध द्वारा गोमती नार के विकास खाड़ी के ग्राम गांवरी में लगभग 180 वर्गमीटर भैत्रफल के भूखण्ड पर भूतल पर दुकानों व प्रथम तल पर हॉल का गये थे। सहायक अभियंता पारित किये गये थे। सहायक अभियंता अनिल कुमार, अवर अधिकारी त्रुत्यपाल के ग्राम गांवरी में योजित करते हुए।

उदयवीर सिंह, अवर अभियंता अशीष श्रीवास्तव, संजय बाटी व एस्के दीक्षित द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सदस्यों से उक कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया गया।

जोनल अधिकारी देवंग त्रिवेदी ने बताया कि अजनी कुमार सिंह व अन्य द्वारा नीलमथा के रामसेवक पुम में हरिहरपुर नाले के पास खसरा संख्या-433 पर लाभग 6000 वर्गमीटर भैत्रफल में बिना स्वीकृत मानचित्र के 6-रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था। जिसके विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए प्रीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। सहायक अभियंता अनिल कुमार, अवर अधिकारी त्रुत्यपाल के ग्राम गांवरी में योजित करते हुए प्रीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। सहायक अभियंता अशीष श्रीवास्तव, संजय बाटी व एस्के दीक्षित द्वारा वाद दर्ज करते हुए प्रीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। सहायक अभियंता अनिल कुमार, अवर अधिकारी त्रुत्यपाल के ग्राम गांवरी में योजित करते हुए प्रीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। सहायक अभियंता अशीष श्रीवास्तव, संजय बाटी व एस्के दीक्षित द्वारा वाद दर्ज करते हुए प्रीलिंग के आदेश पारित किये गये थे।

अवध गर एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव

आरडी शाही अध्यक्ष व मनोज कुमार द्विवेदी महासचिव बने

विधि संवाददाता। लखनऊ



एसोजीएसोसिएशन का वार्षिक चुनाव में आरडी शाही अध्यक्ष व मनोज कुमार द्विवेदी महासचिव बने।

विधि संवाददाता। लखनऊ

हार्डकोर्ट की लखनऊ खांडीपुर विधि संवाददाता के वर्ष पर आरडी शाही निर्वाचित हुए हैं।

वुधार/गुरुवार की मध्य रात्रि में अवध वार का चुनाव परिणाम घोषित किया गया। जिसमें अध्यक्ष पद पर आरडी शाही ने अपने निकटरम प्रतिविधी सुधार चंद्र मिश्र को चुनाव में अवध वार के वर्ष पर आरडी शाही ने जीत हासिल की।

वुधार/गुरुवार की मध्य रात्रि में अवध वार का चुनाव परिणाम घोषित किया गया। जिसमें अध्यक्ष पद पर आरडी शाही ने अपने निकटरम प्रतिविधी सुधार चंद्र मिश्र को चुनाव में अवध वार के वर्ष पर आरडी शाही ने जीत हासिल की।

वुधार/गुरुवार की मध्य रात्रि में अवध वार का चुनाव परिणाम घोषित किया गया। जिसमें अध्यक्ष पद पर आरडी शाही ने अपने निकटरम प्रतिविधी सुधार चंद्र मिश्र को चुनाव में अवध वार के वर्ष पर आरडी शाही ने जीत हासिल की।

वुधार/गुरुवार की मध्य रात्रि में अवध वार का चुनाव परिणाम घोषित किया गया। जिसमें अध्यक्ष पद पर आरडी शाही ने अपने निकटरम प्रतिविधी सुधार चंद्र मिश्र को चुनाव में अवध वार के वर्ष पर आरडी शाही ने जीत हासिल की।

वुधार/गुरुवार की मध्य रात्रि में अवध वार का चुनाव परिणाम घोषित किया गया। जिसमें अध्यक्ष पद पर आरडी शाही ने अपने निकटरम प्रतिविधी सुधार चंद्र मिश्र को चुनाव में अवध वार के वर्ष पर आरडी शाही ने जीत हासिल की।

वुधार/गुरुवार की मध्य रात्रि में अवध वार का चुनाव परिणाम घोषित किया गया। जिसमें अध्यक्ष पद पर आरडी शाही ने अपने निकटरम प्रतिविधी सुधार चंद्र मिश्र को चुनाव में अवध वार के वर्ष पर आरडी शाही ने जीत हासिल की।

वुधार/गुरुवार की मध्य रात्रि में अवध वार का चुनाव परिणाम घोषित किया गया। जिसमें अध्यक्ष पद पर आरडी शाही ने अपने निकटरम प्रतिविधी सुधार चंद्र मिश्र को चुनाव में अवध वार के वर्ष पर आरडी शाही ने जीत हासिल की।

वुधार/गुरुवार की मध्य रात्रि में अवध वार का चुनाव परिणाम घोषित किया गया। जिसमें अध्यक्ष पद पर आरडी शाही ने अपने निकटरम प्रतिविधी सुधार चंद्र मिश्र को चुनाव में अवध वार के वर्ष पर आरडी शाही ने जीत हासिल की।

वुधार/गुरुवार की मध्य रात्रि में अवध वार का चुनाव परिणाम घोषित किया गया। जिसमें अध्यक्ष पद पर आरडी शाही ने अपने निकटरम प्रतिविधी सुधार चंद्र मिश्र को चुनाव में अवध वार के वर्ष पर आरडी शाही ने जीत हासिल की।

वुधार/गुरुवार की मध्य रात्रि में अवध वार का चुनाव परिणाम घोषित किया गया। जिसमें अध्यक्ष पद पर आरडी शाही ने अपने निकटरम प्रतिविधी सुधार चंद्र मिश्र को चुनाव में अवध वार के वर्ष पर आरडी शाही ने जीत हासिल की।

वुधार/गुरुवार की मध्य रात्रि में अवध वार का चुनाव परिणाम घोषित किया गया। जिसमें अध्यक्ष पद पर आरड

Format C-1

(As per the judgement dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate: **Rahul Gandhi**, 10 Janpath, New Delhi 110001

Name of political party: **Indian National Congress**

Name of Election **Lok Sabha General Election- 2024**

Name of Constituency: **36- Rae Bareli Parliamentary Constituency**

I, **Rahul Gandhi**, a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases

S. No.	Name of Court	Case No. and dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)	
1	Not Available	FIR No. 240/2021 dated 09.09.2021 Delhi.	The Hon'ble High Court of Delhi in W.P.(C) 8210/2021 its order dated 24.01.2024 referred to the existence of the aforementioned FIR. The FIR per direction of the Hon'ble High Court is in sealed cover, I am therefore, not aware of the details of the FIR. I am also not aware of whether I am arraigned as an accused in this FIR. I am, however, disclosing its existence out of abundant caution.	SS. 228A IPC SS. 23(4) POCSO SS. 74 Juvenile Justice Act Alleged disclosure of identity of parents of minor rape victim girl on the Twitter handle of the candidate.	
2	9 th Addl. Chief Metropolitan Magistrate Court, Nrupatunga Road, Bangalore City	FIR No. 0362/2022 dated 4.11.2022 Yeshwanthpura Police Station, Bengaluru City, Karnataka	Investigation was stayed in terms of order dated 16.12.2022 in Writ Petition No. 25123/2022 by Hon'ble High Court of Karnataka. On 28.6.2023 the Hon'ble High Court of Karnataka was pleased to dismiss the above writ petition.	Copyright Act u/s 63 IT Act u/s 66 and SS 34, 120B, 403, 465 IPC It is alleged against the accused that they have used song(s) that the Complainant had copyrights over in the social media/Twitter handle of Indian National Congress while covering a video of the Bharat Jodo Yatra.	
3	Court of Metropolitan Magistrate 9th Court Bandra, Mumbai, Maharashtra	Complaint Case No. 311/SS/2023	WP/3011/2023 filed before the Hon'ble Bombay High Court challenging order dated 23.11.2019 rejecting the application for dismissal of Complaint on the ground that two separate offences cannot be tried together is pending.	SS. 499, 500 IPC Alleged defamation against RSS with reference to the murder of journalist Gauri Lankesh.	
4	Special Court MP/MLA, Ranchi, Jharkhand	Complaint Case No. 1698/2018 (MP/MLA Case No. 16/2021)	The order dated 15.09.2018 passed in Cr. Revision No. 281/2018 by which the Magistrate was directed to take a fresh look on the materials available on record, after he had dismissed the complaint, was challenged in Cr. M.P. No. 4241/2018 before the Hon'ble High Court of Jharkhand at Ranchi and vide order dated 16.02.2024 the WP was dismissed.	SS. 499, 500 IPC Alleged defamation against Bharatiya Janata Party, its leaders, supporters and workers with reference to criminal antecedents of the President of the Party.	
5	Court of Chief Judicial Magistrate, Kamrup (Metropolitan), Guwahati, Assam	Complaint Case C.R. 559/2016	Criminal Revision Petition No. 26/2023 was filed before the Additional District and Sessions Judge by Complainant challenging order dated 18.3.2023 passed by the learned Additional Chief Judicial Magistrate, Kamrup in C.R. Case No. 559/2016. The Criminal Revision Petition was allowed vide order dated 22.09.2023. The ACJM, Kamrup, Guwahati was directed to hear both parties afresh and pass fresh order.	SS. 499, 500 IPC Alleged defamation against RSS with reference to persons belonging to RSS not allowing the Accused to visit Barpeta Satra.	
6	Court of the 3rd JD Civil Judge, JD, JMFC, Bhiwandi, Maharashtra	Complaint Case SCC 2425/2014	1. WP ST/14290/2023 filed by the Accused challenging the admissibility of documents is pending before Hon'ble High Court of Bombay. 2. WP/799/2022 filed by the Complainant challenging order rejecting application for issuance of witness summons was rejected on 22.6.2022 by Hon'ble High Court of Bombay. 3. WP/376/2019 filed by the Complainant challenging application rejecting to mark the transcript copy as an Exhibit. Rejected vide Order dated 20/9/2021 by Hon'ble High Court of Bombay. 4. The summoning order dated 11.07.2014 passed by the Ld. J.M.F.C., Bhiwandi was challenged before the Hon'ble High Court of Bombay vide Criminal Writ Petition No. 4960 of 2014. Hon'ble High Court was pleased to dismiss the petition vide order dated 10.03.2015. Against the order dated 15.12.2014 an SLP Cr. No. 3749/2015 was filed before the Hon'ble Supreme Court, which was dismissed as withdrawn vide order dated 01.09.2016.	SS. 499, 500 IPC Alleged defamation against RSS with reference to association of members of RSS with the murder of Mahatma Gandhi.	
7	Court of Ms. Tanya Bamniyal, ACMM-III, Rouse Avenue Courts, New Delhi	Complaint Case No. 18/2019	The summoning order dated 26.06.2014 was challenged before the Hon'ble High Court of Delhi vide Cr. M.C. No. 3333 of 2014. The Hon'ble High Court was pleased to dismiss the petition vide order dated 7.12.2015. Against the order dated 07.12.2015 a SLP Cr. No. 1024 of 2016 was filed before the Hon'ble Supreme Court, which was disposed off vide order dated 12.02.2016, whereby all inferences and conclusions drawn by the High Court, on the various factual aspects in the matter were expunged and liberty was granted to raise all the issues before the trial court. Moreover, trial court proceedings have been stayed on 22.02.2021 by the Hon'ble High Court of Delhi on a 482 petition (Cr. M.C. No. 578/2021) filed by the Complainant. These is no charge and no conviction.	SS. 403, 406, 420 r/w 120-B IPC Private Complaint by Dr. Subramanian Swamy, former MP Rajya Sabha (former Member of BJP National Executive) regarding alleged conspiracy to criminally misappropriate and cheat the shareholders of M/s The Associated Journals Ltd. by M/s Young Indian and its Directors.	
8	Court of Addl. Chief Metropolitan Magistrate, Ahmedabad, Gujarat	Court of Addl. Chief Metropolitan Magistrate, Ahmedabad, Gujarat	Criminal Case No. 29989/2019	Trial was stayed by the Hon'ble Gujarat High Court in terms of order dated 10.02.2021 in Special Criminal Application No. 1744/2021 filed by the complainant.	
9	Court of Additional District & Sessions Judge 8th, Surat, Gujarat	Criminal Appeal No. 254/2023	A private criminal complaint was filed with regard to an alleged defamatory statement made by the Accused against the so-called Modi Samaj under SS. 499, 500 IPC.		
10	Court of Metropolitan Magistrate 16, Ahmedabad, Gujarat	Criminal Enquiry Case No. 36580/2019	Candidate-Accused was convicted and sentenced to Simple Imprisonment for 2 years on 23.03.2023. As it was a 2 year sentence hence sentence was suspended for 30 days by Chief Judicial Magistrate, Surat on 23 March 2023. 8th Additional Sessions Judge, Surat granted bail to the accused on 3 April 2023 and suspended the sentence of the Accused pending appeal vide order dated 4 August 2023 by Hon'ble Supreme Court in SLP (Cr.) No. 8644/2023 which is pending.		
11	Special Judicial Magistrate MP/MLA Court, Patna, Bihar	Criminal Case Complaint (P) 1551/2019	Pursuant to the Supreme Court order on 4 August 2023, the Lok Sabha issued a notification dated 7 August 2023 canceling the "disqualification".		
12	Special Court MP/MLA, Ranchi, Jharkhand	Complaint Case 1993/2019 (MP/MLA Case No. 17/2021)	Trial was stayed by the Hon'ble Patna High Court in terms of order dated 24.04.2023 in Special Criminal Misc No. 73323/2019.		
13	Court of 40th Metropolitan Magistrate Girgaon, Mumbai, Maharashtra	Complaint Case CC No. 6200/SS/2021	1. Cr. M.P. No. 152/2020 u/s 482 of Cr.P.C. against summoning order before Hon'ble Jharkhand High Court. The petition was dismissed vide order dated 5.7.2022. 2. WP Cr. No. 302/2023 was allowed vide order dated 16.08.2023 exempting personal appearance by the Hon'ble High Court at Ranchi.		
14	Special MP/MLA Court, Chaibasa, Jharkhand	Complaint Case 229/2021	1. Cr. M.P. No. 1368/2022 u/s 482 of Cr.P.C. in Jharkhand High Court against summoning order is pending. 2. W.P. Cr. No. 230/2024 was filed challenging order dated 27.02.2024 passed by learned Magistrate, Chaibasa issuing NBW. Hon'ble High Court vide order dated 20.03.2024 stayed NBW for one month. 3. W.P.(Cr.) No. 276 of 2024 filed before the Hon'ble Jharkhand High Court and vide order dated 25.04.2024 it has been directed that further proceedings shall remain stayed.		
15	ACJM (Custom), Lucknow, Uttar Pradesh	Complaint Case No. 628/2018	The Hon'ble Court was pleased to dismiss the aforementioned private complaint vide order dated 26.09.2019. Criminal Revision 283/2022 was filed by the complainant and same is pending before Hon'ble ADJ, Court No. 14, Lucknow.		
16	ACJM COURT NO.27, Lucknow Uttar Pradesh	Criminal Misc. Case No. 126818/2022	The Hon'ble Court was pleased to dismiss the aforementioned private complaint vide order dated 14.6.2023. Criminal Revision 547/2023 was filed by the complainant and same is pending before Hon'ble Special Court, MP/MLA Court No. 19, Lucknow.		
17	Special Court MP/MLA, Sultanpur Uttar Pradesh	Criminal Misc. Case No. 1943/2018	The matter is currently pending in the Special Court MP/MLA, Sultanpur where process was issued on 08.01.2024 and the accused was admitted to bail on 20.02.2024. A plea is yet to be recorded and the trial is pending.		
18	Chief Metropolitan Magistrate, Bengaluru, Karnataka	Complaint Case 7399/2024	Matter is currently pending before the Chief Metropolitan Magistrate, Bengaluru for service of other accused parties.		
(B) Details about cases of conviction for criminal offences					
S.No.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed		Maximum Punishment Imposed	
1	Complaint Case No. 18712/2019, Metropolitan Magistrate, Surat Order of conviction dated 23.03.2023	A private criminal complaint was filed with regard to an alleged defamatory statement made by the Accused against the so-called Modi Samaj under SS. 499, 500 IPC. I was convicted and sentenced to Simple Imprisonment for 2 years on 23.03.2023. As it was a 2 years sentence hence sentence was suspended for 30 days by Chief Judicial Magistrate, Surat on 23 March 2023. 8th Additional Sessions Judge, Surat granted bail to me on 3 April 2023 and suspended the sentence to me pending appealvide order dated 3 April 2023. The order of conviction has finally been stayed by Hon'ble Supreme Court in SLP (Cr.) No. 8644/2023 vide order dated 4 August 2023		2 years	
				Pursuant to the Hon'ble Supreme Court order on 4 August 2023, the Lok Sabha issued a notification dated 7 August 2023 canceling the "disqualification". And restored my Membership as Member of Parliament.	

जद (एस) विधायक एचडी रेवना को यौन उत्पीड़न मामले में अंतरिम जमानत मिली

भाषा। बंगलुरु

राज्य राजधानी की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को जद (एस) विधायक एवं कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच. डी. रेवना को यौन उत्पीड़न मामले में अंतरिम जमानत दे दी। रेवना और उनके बेटे एवं सांसद प्रज्ज्वल रेवना के खिलाफ 28 अप्रैल को हासन जिले के होलेनसीपुर यातन पुलिस थाने में 47 वर्षीय एक घरेलू सहायिका के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था ऐसा बताया जाता है कि प्रज्ज्वल 27 अप्रैल को जर्मनी खाना हो गए थे और वह अभी भी इस मामले में पेश नहीं हुए हैं। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि 66 वर्षीय विधायक के घर पर पिता-पुत्र ने उसका कथित तौर पर यौन शोषण किया था। प्रज्ज्वल के खिलाफ यौन शोषण के आरोपें और संबंधित मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पूर्व मंत्री को हिरासत में दिए जाने का अनुरोध किया था। रेवना के अधिवक्ताओं ने

मामले में आग्रम जमानत का अनुरोध किया। हालांकि, 42वें अंतिरिक्त मुख्य मेरोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत (एसीएमएम) ने मामले की सुनवाई की और रेवना को शुक्रवार तक अंतर्रिम राहत दी। एसआईटी ने जद (एस) के संरक्षक एवं पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेंगौड़ा के बेटे रेवना और प्रज्वल को जांच में शामिल होने के लिए दो नोटिस भेजे थे, लेकिन दोनों इसमें शामिल नहीं हुए। रेवना ने बृहस्पतिवार को अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था और एसआईटी ने इस पर आपत्ति जताई थी और उनकी हिरासत या उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को मामले की दोबारा सुनवाई करने का फैसला किया और तब तक रेवना को राहत दे दी। निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए यहां की एक विशेष अदालत ने अपहरण के एक मामले में जनता दल-सेक्युलर (जद-एस) के नेता रेवना की जमानत याचिका सोमवार को मंजूर कर ली थी इसके बाद रेवना का जल से रिहा कर दिया गया था। पूर्व मंत्री रेवना (66) को एसआईटी ने एक महिला के कथित अपहरण के मामले में चार मई को गिरफ्तार किया था। अपहरण का यह मामला उनके बेटे और हासन से सांसद प्रज्वल रेवना द्वारा महिलाओं का यौन शोषण किए जाने के आरोपों से जुड़ा है। हासन से मौजूदा सांसद प्रज्वल रेवना (33) देवेंगौड़ा के पोते हैं। प्रज्वल महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इस मामले ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है और राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा (भारतीय जनता पार्टी)-जद(एस) के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया है ऐसा बताया जा रहा है कि हासन सीट से भाजपा-जद (एस) के संयुक्त उम्मीदवार प्रज्वल कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदाता के एक दिन बाद 27 अप्रैल को विदेश चले गए थे। उन्हें वापस लाने के लिए उनके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है।

जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी में एक की मौत, 15 लोगों को हिरासत में गांधीधाम (गुजरात)। गुजरात में छोटा कच्छ का रण (एलआरके) के भीतर जमीन के एक टुकड़े पर कब्जा करने के लिए लोगों के एक समूह ने गोलीबारी कर दी और दूसरे समूह पर हमला किया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। तीन दिन पहले की घटना का एक वीडियो बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच पर वायरल हो गया जिसमें दिखाई दे रहा है कि आरोपी समूह अपने बाहनों में दूसरे समूह की ओर बढ़ रहा है और विरोध करने पर उन पर गोलीबार कर रहा है। पुलिस अधीक्षक (कच्छ-पूर्व) सागर बागमार ने बताया कि झाड़प 13 मई की शाम को कच्छ जिले के रापर तालुका के अंतर्गत कनमर गांव के पास नमकरेंगस्तान एलआरके क्षेत्र में हुई था। 14 मई को सापखियारी पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा, हमले में चार लोग घायल हो गए, जिनमें तीन गोली लगाने से घायल हो गए। इनमें से एक दिनेश कोली के माथे पर गोली लगी और उसे रेजकोट के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां बुधवार शाम को उसकी मौत हो गई। हमने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों पर हत्या, दंगा, गैस्कनूनी तरीके से एकत्र होने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ा कोई दस्तावेज आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया: हिंदू पक्ष

प्रयागराज। मथुरा पश्चिम कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में बृहस्पतिवार को हिंदू पक्ष ने दलील दी कि विवादित संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में आज की तिथि तक सुनी सेंट्रल बैंक बोर्ड या ईदगाह की इंतेजामिया कमेटी ने कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया। हिंदू पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि उस संपत्ति में उनके (सुनी बोर्ड एवं इंतेजामिया कमेटी) नाम कोई बिजली का बिल तक नहीं है और वे अवैध तरीके से बिजली का उपयोग कर रहे हैं। उसने कहा कि इस संबंध में बिजली विभाग द्वारा उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कुछ देर सुनवाई के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि 20 मई, 2024 तय की। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मर्याद कुमार जैन की अदालत कर रही है। इससे पूर्व बुधवार को मुस्लिम पक्ष की वकील तसलीमा अजाज अहमदा न बाड़या कान्फ्रेंसिंग के जरिए कहा था कि उनके पक्ष ने 12 अक्टूबर, 1968 को एक समझौता किया था जिसकी पुष्टि 1974 में निर्णित एक दीवानी बाद में की गई। उन्होंने कहा था कि एक समझौते को चुनौती देने की समय सीमा तीन वर्ष है, लेकिन बाद 2020 में दायर किया गया, इस तरह से मौजूदा बाद समय सीमा से बाधित है।

अहमदी ने दलील दी थी कि यह बाद शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाने के बाद कब्जा लेने और मंदिर बहाल करने के लिए दायर किया गया है। उन्होंने कहा कि बाद में की गई प्रार्थना दर्शाती है कि वहाँ मस्जिद का ढांचा मौजूद है और उसका कब्जा प्रबंधन समिति के पास है। हिंदू पक्ष ने दलील दी थी कि यह संपत्ति एक हजार साल से अधिक समय से भगवान कट्टा केशव देव की है और सोलहवीं शताब्दी में भगवान कृष्ण के जन्म स्थल का ध्वस्त कर ईदगाह के तौर पर एक चबूतरे का निर्माण कराया गया था। हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि 1968 में कथित समझौता कुछ और नहीं है, बल्कि सुनी सेंट्रल बोर्ड और इंतेजामिया कमेटी द्वारा की गई एक धोखाधड़ी है, इसलिए समय सीमा की ध्वना यहाँ लागू नहीं होती है। 1968 का कथित समझौता बादी के संज्ञान में 2020 में आया और संज्ञान में आने के तीन साल के भीतर यह बाद दायर किया गया है। उसने कहा कि इसके अलावा, 12 अक्टूबर, 1968 को हुए समझौते में भगवान पक्षकार नहीं थे और साथ ही समझौता करने वाला श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान ऐसा किसी तरह का समझौता करने के लिए अधिकृत नहीं था, बल्कि इस संस्थान का काम दैनिक गतिविधियों का संचालन करना था। हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि यह बाद पोषणीय (सुनवाई योग्य) है।

- | ְ ְ ִ ַ ָ ֹ

एनजीटी ने देहरादून के डीएम पर
10,000 रुपए का जुर्माना लगाया

नई दल्ला। राष्ट्रीय हारत अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तराखण्ड में जंगल के पेड़ों की कार्याई के संबंध में एक मामले की सुनवाई के दौरान अपने पूर्व आदेश का पालन नहीं करने के लिए देहगढ़न के जिलाधिकारी पर मुकदमा खर्च के तौर पर 10,000 रुपए देने का आदेश दिया है। आमवाला तरता गांव में 20 एकड़ से अधिक जंगल को क्षतिग्रस्त किए जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने पूर्व में जिलाधिकारी को एक समिति द्वारा निरीक्षण और रिपोर्ट दाखिल करने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अधिकरण ने पहले एक संयुक्त समिति का गठन किया था, जिसमें जिलाधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख शामिल थे। पीठ ने कहा कि इस समिति को मौका-मुआयना करना था, लाकर काइ निराकरण नहीं। कवा गया और अन्य अधिकारियों द्वारा एक रिपोर्ट दाखिल की गई थी। पिछले सत्ताह परित एक आदेश में एनजीटी ने कहा, संयुक्त समिति में समन्वयक के रूप में यह जिलाधिकारी की जिम्मेदारी थी कि वह यह सुनिश्चित करें कि अधिकरण के निर्देश के संदर्भ में आवश्यक कदम उठाए जाएं और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। आदेश में कहा गया, दिन की कार्यवाही के दौरान अधिकरण का समय बर्बाद हुआ इसलिए हमारे पास अधिकरण के आदेश का पालन न करने के लिए जिलाधिकारी, देहगढ़न पर 10,000 रुपए की लागत लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जिलाधिकारी को दो सप्ताह के भीतर लागत राशि जमा करने का निर्देश देते हुए अधिकरण ने संयुक्त समिति को पिछले आदेश का पालन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त के लिए सूचीबद्ध की गई।

उचित प्राक्रिया का पालन किए बिना राज्य को ओर से निजी संपत्ति का अधिग्रहण असंवैधानिक : न्यायालय

न नहीं दल्ला। उच्चतम न्यायालय न वृहस्पतिवार को कहा कि अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से बंचित करने से पहले उचित प्रक्रिया स्थापित नहीं की गई या उसका पालन नहीं किया गया तो निजी संपत्तियों का अनिवार्य अधिग्रहण असंवैधानिक होगा एक महत्वपूर्ण फैसले में, शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि राज्य और उसके साधनों द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो निजी संपत्तियों के अधिग्रहण के बदले मुआवजे के भुगतान की वैधानिक योजना भी उचित नहीं होगी। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कोलकाता नगर निगम की अपील खारिज कर दी। नगर निकाय ने कोलकाता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ को फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने एक पार्क के निर्माण के लिए शहर के नारकेलडांगा नाय रुड पर एक सपात के आधिग्रहण को रद्द कर दिया था उच्च न्यायालय माना था कि नगर निकाय के पार्क अनिवार्य अधिग्रहण के लिए एक विशिष्ट प्रावधान के तहत कोई शब्द नहीं थी शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा, हमारी सुविचारित संघ है फैसला उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका व अनुमति देना और अधिनियम की धूम 352 के तहत अपीलकर्ता-निगम द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले को खारिज करना पूरी तरह से उचित था। आक्षेपिता निर्णय किसी भी तरह से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। न्यायमूर्ति नरसिम्हा 32 पन्नों के फैसले में कहा, हमारी संवैधानिक योजना के तहत, किसी व्यक्ति को उसकी अचल संपत्ति बंचित करने से पहले कानून व निष्पक्ष प्रक्रिया का अनुपालन करना चाही तरह से स्थापित है। इसमें कहा गया, यह मानते हुए कि कोलकाता नगर निगम अधिनियम की धारा 36 मुआवजे का प्रावधान करती है, तब व

याज्य को ओर से
तेक : न्यायालय
अधिकारी, अधिकारा, अंगठिता
इडा न चावल मिल घाटाला
मामले ने एक और व्यक्ति
को गिरफ्तार किया
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)
ने उपर्युक्त तो तस को लाए 175

आननवाय अधिग्रहण असववानाक होगा यदि किसी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित करने से पहले उचित प्रक्रिया स्थापित नहीं की जाती है या उसका पालन नहीं किया जाता है। अनिवार्य अधिग्रहण की शक्ति को उचित ठहराने के लिए मुआवजे के प्रावधानों पर अनुचित जोर दिया जाता है, जैसे कि मुआवजा ही वैध अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया है। संविधान का अनुच्छेद 300ए (संपत्ति का अधिकार) कहत है कि कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा और इसे संवेधानिक और मानव अधिकार दोनों के रूप में वर्णित किया गया है। यह मान लेना कि संवेधानिक संरक्षण उचित मुआवजे के अधिदेश तक ही सीमित हो जाता है, पाठ की एक कपटपूर्ण व्याख्या होगी और, हम कहेंगे, संविधान की समतावादी भावना के लिए अपमानजनक होगा।

न बृहस्पतिवार का कहा कि उसने 175 करोड़ रुपए के कथित चावल मिल घोटाले के मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इंडी ने छत्तीसगढ़ चावल मिल मालिक एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष को हिरासत में लिया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। धमतरी जिले के कुरुद स्थित चावल मिल मालिक रेशन चंद्राकर को बुधवार को गिरफ्तार किया गया बोंदीय एजेंसी ने एक बयान में आरोप लगाया, वह खरीफ विषण्णन सत्र 2021-22 के दौरान राज्य चावल मिल मालिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष थे। इस अवधि के दौरान चावल मिल मालिकों से अवैध वसूली की जा रही थी। पिछले महीने इस मामले में मार्केफड के पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) मनोज सोनी को गिरफ्तार किया गया था। ईंडी ने कहा कि यह मामला राज्य की राजधानी रायपुर की एक अदालत में आयकर विभाग द्वारा दर्ज शिकायत पर आधारित है।

बुजुगा पुलिस चांका भू-बृहस्पतिवार सुबह हिरासत में एक युवक ने काथत तार पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में परिजनों द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस आयुक्त ने पुलिस चौकी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को निर्लंबित कर दिया है। पुलिस उपायुक्त (जोन द्वितीय) सुनिती ने बताया कि पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के अदेश पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कावाई के साथ-साथ घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में थाना प्रभारी और सहायक पुलिस आयुक्त की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि चिकित्सकों का एक पैनल बनाकर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करवाई गई है। सुनिती ने बताया कि चिपियाना गांव के पास स्थित एक कंपनी में काम करने वाली एक महिला ने अपने सहकर्मी योगेश (22) पर बलात्कार का आरोप लगाया था और उसने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक (लखनऊ) से शिकायत की थी। जांच दल लखनऊ से नोएडा आया और इस जांच के क्रम में पुलिस ने बृहस्पतिवार सुबह को योगेश को पूछताछ के लिए चौकी पर बुलाया। उन्होंने कहा कि इसी बीच पुलिस को चिपियाना में एक युवक की खुदकुशी की सूचना मिली। इस पर योगेश को चौकी लेकर आए पुलिसकर्मी उसे बाहर कुर्सी पर बैठाकर घटनास्थल रखाना हो गए। सुनिती ने कहा कि उस वक्त चौकी पर एक महिला कांस्टेबल निगरानी पर थी। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि इसी दौरान योगेश ने चौकी के अंदर जाकर कम्पर का दरवाजा बंद कर लिया तथा पंखे से फंदा लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। योगेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया वर्हाँ, घटना के बाद मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई के डर से योगेश ने आत्महत्या की है। पुलिस हिरासत में मौत की सूचना पर काफी संख्या में लोग सेक्टर-94

ओमान में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों ने प्रदर्शन कर मांगा मुआवजा

गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी मां की चिता को मुखाग्नि दी। इस मौके पर उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारें लोग मौजूद थे। दिन में उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से लाए जाने के बाद, इसे रानी महल में रखा गया ताकि लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। सूत्रों ने बताया कि नेपाल के शाही परिवार और देश की पूर्व स्थिसतों के सदस्य भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। माधवी राजे का बुधवार सुबह दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में निधन हो गया था। वह निमोनिया और सेप्सिस से पीड़ित थों और पिछले तीन महीने से प्रमुख अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। नेपाल के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली माधवी राजे ने 1966 में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत माधवराव सिंधिया से शादी की थी। उनके परिवार में बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा उनकी बेटी चित्रांगदा राजे मिंड हैं। तिसुरनंतरपुरम् । दिल का दौरा पड़ने के कारण हाल ही में ओमान में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के परिजनों ने बृहस्पतिवार को तिसुरनंतरपुरम् में एअर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लि. (एआईएसएटीएस) के कार्यालय के बाहर शब्द खरोध-प्रदर्शन कर एअर इंडिया एक्सप्रेस से मुआवजे की मांग की और दावा किया कि अगर विमानन कंपनी ने उड़ानें रद्द नहीं की होती तो उसकी पत्ती उसके साथ होती मृतक के परिजनों ने कहा कि एअर इंडिया एक्सप्रेस के चालक दल के सदस्यों की हड्डताल के कारण उड़ानें बार-बार रद्द होने से महिला अपने पति के पास नहीं जा सकी और देखभाल के लिए कोई नहीं होने के कारण खाड़ी देश में महिला के पति की मौत हो गई। मृतक के शव को सुबह केरल लाया गया। शब्द के साथ श्रितेदार सीधे एआईएसएटीएस कार्यालय पहुंचे जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। यह कंपनी विमान का जमीनी पप मरवाव संबंध में कोई निर्णय नहीं लेती, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। एआईएसएटीएस कार्यालय में काम करने वाले लोग दावा कर रहे हैं कि उनका एअर इंडिया एक्सप्रेस से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने सबाल उठाया, लेकिन यहां बोर्ड पर बड़े अक्षरों में एअर इंडिया क्यों लिखा है? उन्होंने यह भी दावा किया कि अब तक एयरलाइन ने निरस्त टिकटों की राशि भी वापस नहीं की है। हमारी मुख्य मांग एयरलाइन से निरस्त टिकटों की राशि वापस लेना नहीं है। एअर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस की मौजूदगी में महिला के पिता सहित परिवार के सदस्यों के साथ विमर्श किया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया और शब्द को अंतिम संस्कार के कारण खाड़ी देश में अनुशासन और उनके पहनावे में एकरूपता के लिए उनके बासे विशेष वर्दी तय की थी। अगर इस वर्दी से किसी व्यक्ति की भावना जाने-अनजाने में आहत हो रही है, तो वर्दी में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। आईएमसी में प्रतिपक्ष के नेता चिंटू चौकसे ने इस वर्दी पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने बुधवार को कहा था, आईएमसी प्रशासन ने अतिक्रमण रोधी दस्ते के कर्मचारियों के लिए फौजियों जैसी वर्दी चुनकर सेना का अपमान किया है। ए कर्मचारी ठेलों और रेहड़ी बालों से अवैध बस्तु के लिए बदनाम हैं। चौकसे ने यह भी कहा था कि अतिक्रमण रोधी दस्ते के कर्मचारियों का फौजियों जैसी वर्दी प्रदनन का अनुबन्ध गलत है।

त्रियों वाले कोविड

कहा गया है कि वयस्कों में चार मौतें (तीन महिला व्यक्ति, एक पुरुष व्यक्ति) दर्ज की गईं। इन चारों को मधुमेह था, जबकि तीन को उच्च रक्तचांचा था, और उनमें से दो में पर्व-टीकाकरण कोविड ?-19 का इतिहास मौजूद था दो मौतों में स्ट्रोक मुख्य कारण था और एक मृत्यु पोस्ट-कोविड-19 राइनोसेरेब्रल म्यूकोमिकोसिस के कारण हुई थी, जो कथित तौर पर टीकाकरण के बाद फैल गया था, जैसा कि देखभाल करने वालों की विवाहित व्यक्ति भी रिपोर्ट किए गए। अध्ययन में किशोरों और वयस्कों में बीबीवी152 वैक्सीन की दीर्घकालिक सुरक्षा पर ध्यान दिया गया था।

(आरोप पत्र) दाखिल करने का प्रस्ताव करते हैं। हम जल्द यह करेंगे। यह प्रक्रिया में है। ईडी ने यह बयान केजरीवाल द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। शीष अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुँड़े धनशोधन के मामले में 10 मई को एक जन तक के जरीवाल

किया गया। 2019 के चुनाव में पहले चरण में 69.43 फीसदी मतदान हुआ था मतदाता मतदान प्रतिशत बढ़ाने के अपने प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, चुनाव आयोग (ईडी) ने मौजूदा लोकसभा चुनावों के दौरान मतदाताओं को वोट डालने के लिए अपील करने और प्रेरित करने के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला शुरू की है। चुनाव निकाय ने प्रत्यक्ष पात्र मतदाता तक पहुँचने के लिए अपने लक्षित हस्तक्षेप बढ़ा दिए हैं। चुनाव आयोग ने मौजूदा उपयोगकर्ताओं के लिए आउटबाउंड डायलिंग कॉल, आरसीएस के माध्यम से संबंधित संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक मोबाइल उपयोगकर्ता तक पहुँच रहे हैं। (रिच कम्प्युनिकेशन सर्विसेज) मैसेजिंग और व्हाट्सएप संदेश/अलर्ट। ये गतिविधियां मतदान से दो तीन दिन पहले और यहां तक कि मतदान के दिन भी क्षेत्रीय भाषाओं में बाट देने की अपील के साथ की जाती हैं। चुनाव निकाय ने कहा कि म्प्रजिक ऐप स्पोर्टीफाई एक अभियान 'प्ले योर

जनवरी 2022 से अगस्त तक आयोजित द्वारा बताया गया है।
अधिकतम अध्ययन में कहा गया, करीब एक तिहाई की हुई, जो टीका

व्यक्तियों में ईएसआई विकसित हुआ। स्कूलों में घटनाओं से ज़ूँदा रही थी, जिसका कारण मृत्यु तक अज्ञात रहा। किसी निश्चित कार्य-कारण संबंध के अभाव में, इन घटनाओं से कोई निकर्ष नहीं निकाला जा सकता है। अध्ययन में रेखांकित किया गया है कि अधिकांश ईएसआई एक महत्वपूर्ण अवधि तक बने रहने के कारण, देर से शुरू होने वाले ईएसआई के पाठ्यक्रम और परिणामों को समझने के लिए सीओवीआईडी-19-टीकाकरण वाले व्यक्तियों की विस्तारित निगरानी आवश्यक है। गंभीर ईएसआई असामान्य नहीं हो सकता है और कोविड-19 टीकाकरण के बाद प्रतिरक्षा-मध्यस्थ घटनाओं की घटनाओं को समझने के लिए बढ़ी हुई जागरूकता और बड़े अध्ययन की आवश्यकता है।

अदालत ने हालांकि, उप राज्यपाल की आवश्यक मंजूरी मिलने तक उन्हें दिल्ली सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में जाने और फाइल पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया है। अध्ययन में रेखांकित किया गया है कि अधिकांश ईएसआई एक महत्वपूर्ण अवधि तक बने रहने के कारण, देर से शुरू होने वाले ईएसआई के पाठ्यक्रम और परिणामों को समझने के लिए सीओवीआईडी-19-टीकाकरण वाले व्यक्तियों की विस्तारित निगरानी आवश्यक है। गंभीर ईएसआई असामान्य नहीं हो सकता है और कोविड-19 टीकाकरण के बाद प्रतिरक्षा-मध्यस्थ घटनाओं की घटनाओं को समझने के लिए बढ़ी हुई जागरूकता और बड़े अध्ययन की आवश्यकता है।

दिल्ली सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में जाने और फाइल पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया है। यह मामला दिल्ली सरकार की आवकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमिता और भ्रष्टाचार करने से जुड़ा है जिसे अब रद्द कर दिया गया है।

सचिव समेत...

65.68 प्रतिशत रहे। 2019 के आम चुनाव के तीसरे चरण में 68.4 प्रतिशत मतदान हुआ। 26 अप्रैल को हुए चुनाव के दूसरे चरण में 66.71 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि 2019 के दूसरे चरण में 69.64 प्रतिशत मतदान हुआ था। मौजूदा आम चुनाव के पहले चरण में 66.14

के साथ सहयोग किया है। क्रिकेट मैचों के दौरान विभिन्न स्टेडियमों में मतदाता जागरूकता संदेश और गाने बजाए जा रहे हैं। इस अधियान का सबसे नवीन पहलू विभिन्न आईपीएल स्थानों पर पूर्व-रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश में क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर द्वारा मतदाता प्रतिज्ञा का प्रशासन है। इसके अलावा, मतदाता जागरूकता संदेशों को क्रिकेट कम्पैग्न में एकीकृत किया गया है। 10 आईपीएल टीमों के क्रिकेटरों ने अपने रिकॉर्ड किए गए मतदाता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 'आज पिछर नहीं, बड़ी पिछर देखो' नामक एक एकीकृत अभियान शुरू किया है। मेक माई ट्रिप ने 'मेरा वोट बाला ट्रिप' नाम से एक अधियान चला रहा है, जिसके तहत मतदान के लिए जाने वाले नागरिकों को छूट की पेशकश की जाती है।

सरकारी स्कूलों में व्यक्तियों में ई-एसआई विकसित हुआ। टीका प्राप्त करने के बाद 2023, ने कहा। घटनाओं से जूँझ रही थी, जिसका कारण है। अदालत ने हालांकि इसका निश्चित कार्य-आवश्यक मंजूरी दी।

करने के किशोरों में नई शुरूआत वाली त्वचा और कींगों। कई उम्र का सबसे पारा 47 अर्डीएमडी में लू के लाल में 15 में सबसे एट्रिब्यूशन तपर जोर करण तेज गरीबी में को बहुत किशोरों में नई शुरूआत वाली त्वचा और चमड़े के नीचे के विकार, सामान्य विकार और तंत्रिका तंत्र विकार तीन सबसे आम विकार देखे गए। इसमें त्वचा और चमड़े के नीचे के विकार (10.5 प्रतिशत), सामान्य विकार (10.2 प्रतिशत), और तंत्रिका तंत्र विकार (4.7 प्रतिशत) किशोरों में आम थे। सामान्य विकार (8.9), मस्कुलोस्टेलल विकार (5.8 प्रतिशत), और तंत्रिका तंत्र विकार (5.5 प्रतिशत) वयस्कों में आम थे। 4.6 प्रतिशत महिला प्रतिभागियों में मासिक धर्म संबंधी असामान्यताएं देखी गईं। 2.7 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत प्रतिभागियों में नेत्र संबंधी असामान्यताएं और कारण संबंध के अभाव में, इन घटनाओं से कोई निर्कष्ट नहीं निकाला जा सकता है। अध्ययन में रेखांकित किया गया है कि अधिकांश एईएसआई एक महत्वपूर्ण अवधि तक बने रहने के कारण, देर से शुरू होने वाले एईएसआई के पाठ्यक्रम और परिणामों को समझने के लिए सीओवीआईडी-19-टीकाकरण वाले व्यक्तियों की विस्तारित निगरानी आवश्यक है। गंभीर एईएसआई असामान्य नहीं हो सकता है और कोविड-19 टीकाकरण के बाद प्रतिरक्षा-मध्यस्थ घटनाओं की घटनाओं को समझने के लिए बढ़ी हुई जागरूकता और बढ़े अध्ययन की आवश्यकता है।

सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में जाने और फाइल पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया है। यह मामला दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमिता और भ्रष्टाचार करने से जुड़ा है जिसे अब रद्द कर दिया गया है।

सचिव समेत...

65.68 प्रतिशत रहे। 2019 के आम चुनाव के तीसरे चरण में 68.4 प्रतिशत मतदान हुआ। 26 अप्रैल को हुए चुनाव के दूसरे चरण में 66.71 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि 2019 के दूसरे चरण में 69.64 प्रतिशत मतदान हुआ था। मौजूदा आम चुनाव के पहले चरण में 66.14 संदेश और गाने बजाए जा रहे हैं। इस अभियान का सबसे नवीन पहलू विभिन्न आईपीएल स्थानों पर पूर्व-रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश में क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर द्वारा मतदाता प्रतिज्ञा का प्रशासन है। इसके अलावा, मतदाता जागरूकता संदेशों को क्रिकेट कर्मग्री में एकीकृत किया गया है। 10 आईपीएल टीमों के क्रिकेटरों ने आपने रिकॉर्ड किए गए मतदाता जागरूकता संदेशों के साथ मतदाताओं को लोकसभा चुनाव 2024 में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, जियो टेलीकम्युनिकेशन, वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाता पुश्प को एकीकृत किया है और सक्रिय रूप से मतदाताओं को प्रोत्साहित कर रहा है। किराना ऐप ब्लिंकिट ने चुनावों के लिए अपने लोगों को 'इंकिट' में बदल दिया, जिसमें टैगलाइन के रूप में लोगों को 'बाहर जाओ और वोट करने' के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक संदेश शामिल किया गया। बुकमायशो ने मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 'आज पिछर नहीं, बड़ी पिछर देखो' नामक एक एकीकृत अभियान शुरू किया गया है। मेक मार्ड ट्रिप ने 'मेरा वोट वाला ट्रिप' नाम से एक अभियान चला रहा है, जिसके तहत मतदान के लिए जाने वाले नागरिकों को छूट की पेशकश की जाती है।

करने के किशोरों में नई शुरुआत वाली त्वचा और कारण संबंध के अभाव में, इन घटनाओं से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। सचिवालय स्थित अपने और फाइल पर हस्ताक्षर

का सबसे पारा 47 और तंत्रिका तंत्र विकार तीन सबसे आम विकार देखे गए। इसमें त्वचा और चमड़े के नीचे के विकार (10.5 प्रतिशत), सामान्य विकार (10.2 प्रतिशत), और तंत्रिका तंत्र विकार (4.7 प्रतिशत) फिशरों में आम थे। सामान्य विकार (8.9), मस्कुलोस्केलेटल विकार (5.8 प्रतिशत), और तंत्रिका तंत्र विकार (5.5 प्रतिशत) वयस्कों में आम थे। 4.6 प्रतिशत महिला प्रतिभागियों में मासिक धर्म संबंधी असामान्यताएं देखी गईं। 2.7 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत प्रतिभागियों में नेत्र संबंधी असामान्यताएं और है। अध्ययन में रेखांकित किया गया है कि अधिकांश ई-एसआई एक महत्वपूर्ण अवधि तक बने रहने के कारण, देर से शुरू होने वाले ई-एसआई के पाठ्यक्रम और परिणामों को समझने के लिए सीओवीआईडी-19-टीकाकरण वाले व्यक्तियों की विस्तारित निगरानी आवश्यक है गंभीर ई-एसआई असामान्य नहीं हो सकता है और कोविड-19 टीकाकरण के बाद प्रतिरक्षा-मध्यस्थ घटनाओं की घटनाओं को समझने के लिए बढ़ी हुई जागरूकता और बड़े अध्ययन की आवश्यकता है।

यह मामला दिल्ली सरकार की आवाकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार करने से जुड़ा है जिसे अब रद्द कर दिया गया है।

सचिन सनेत...

65.68 प्रतिशत रहे। 2019 के आम चुनाव के तीसरे चरण में 68.4 प्रतिशत मतदान हुआ। 26 अप्रैल को हुए चुनाव के दूसरे चरण में 66.71 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि 2019 के दूसरे चरण में 69.64 प्रतिशत मतदान हुआ था। मौजूदा आम चुनाव के पहले चरण में 66.14

स्थानों पर पूर्व-रिकॉर्ड किए गए बीड़ियों संदेश में क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर द्वारा मतदाता प्रतिज्ञा का प्रशासन है। इसके अलावा, मतदाता जागरूकता संदेशों को क्रिकेट कमेंटरी में एकीकृत किया गया है। 10 आईपीएल टीमों के क्रिकेटरों ने अपने रिकॉर्ड किए गए मतदाता जागरूकता संदेशों के साथ मतदाताओं को लोकसभा चुनाव 2024 में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। भारत संचार निगम लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, जियो टेलीकम्युनिकेशन, वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाता पुश्ति द्वारा चुनावों के लिए अपने लोगों को 'इंकॉट' में बदल दिया, जिसमें टैगलाइन के रूप में लोगों को 'बाहर जाओ और बोट करने' के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक संदेश शामिल किया गया। बुकमायशो ने मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 'आज पिछर नहीं, बड़ी पिछर देखो' नामक एक एकीकृत अभियान शुरू किया है। मेक माई ट्रिप ने 'मेरा बोट वाला ट्रिप' नाम से एक अभियान चला रहा है, जिसके तहत मतदान के लिए जाने वाले नागरिकों को छूट की पेशकश की जाती है।

का सबसे और तंत्रिका तत्र विकार तोन सबसे आम है। अध्ययन में रेखांकित किया गया है कि विकार देखें गए। इसमें त्वचा और चमड़े के अधिकांश पैरीप्सआई एक महत्वपूर्ण अवधि है। यह मामला दिल्ली सरकारी नीति 2021-22 के तिर्मा

आईएमडी नेचे के विकार (10.5 प्रतिशत), सामान्य में लू के विकार (10.2 प्रतिशत), और तंत्रिका तंत्र विकार (4.7 प्रतिशत) किसीरों में आम थे। सामान्य विकार (8.9), मस्कुलोस्केलेटल एट्रिब्यूशन विकार (5.8 प्रतिशत), और तंत्रिका तंत्र विकार (5.5 प्रतिशत) वयस्कों में आम थे। 4.6 प्रतिशत महिला प्रतिभागियों में मासिक धर्म संबंधी असामान्यताएं देखी गईं। 2.7 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत प्रतिभागियों में नेत्र संबंधी असामान्यताएं और तक बने रहने के कारण, देर से सुरु होने वाले ईंएसआई के पाठ्यक्रम और परिणामों को समझने के लिए सीओवीआईडी-19-टीकाकरण वाले व्यक्तियों की विस्तारित निगरानी आवश्यक है मांभीर ईंएसआई असामान्य नहीं हो सकता है और कोविड-19 टीकाकरण के बाद प्रतिरक्षा-मध्यस्थ घटनाओं की घटनाओं को समझने के लिए बढ़ी हुई जागरूकता और बड़े अध्ययन की आवश्यकता है।

मैं कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार करने से जुड़ा है जिसे अब रद्द कर दिया गया है।

सचिन समेत...

65.68 प्रतिशत रहे। 2019 के आम चुनाव के तीसरे चरण में 68.4 प्रतिशत मतदान हुआ। 26 अप्रैल को हुए चुनाव के दूसरे चरण में 66.71 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि 2019 के दूसरे चरण में 69.64 प्रतिशत मतदान हुआ था। मौजूदा आम चुनाव के पहले चरण में 66.14 मतदाता प्रतिज्ञा का प्रशासन है। इसके अलावा, मतदाता जागरूकता संदेशों को क्रिकेट कमेंटी में एकीकृत किया गया है। 10 आईपीएल टीमों के क्रिकेटरों ने अपने रिकार्ड किए गए मतदाता जागरूकता संदेशों के साथ मतदाताओं को लोकसभा चुनाव 2024 में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। भारत संचार निगम लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, जियो टेलीकम्युनिकेशन, वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाता पुणे रूप में लोगों को 'बाहर जाओ और बोट करने' के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक संदेश शामिल किया गया। बुकमायशो ने मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 'आज पिछर नहीं, बड़ी पिछर देखो' नामक एक एकीकृत अभियान शुरू किया है। मेक माई ट्रिप ने 'मेरा बोट वाला ट्रिप' नाम से एक अभियान चला रहा है, जिसके तहत मतदान के लिए जाने वाले नागरिकों को छूट की पेशकश की जाती है।

